

फर्द अहकाम

नियम 20

अदालत -

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकाम - खेरवाडा

बनाम श्री मनीलाल मीरा श्री लाला मीरा
 मुकदमा 53, 88 188 R.T. Act. नं. 27/सत्र 2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए

24-7-2018

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रतिवादीगणों का तलब हेतु सम्मन जारी किया जाकर, पत्रावली दिनांक 07-9-18 को पेश हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

7-9-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी उपस्थित हुये। जिनके हस्ताक्षर कराई गये। वाद खसोखि बसक द्वारा उपपुत्र मुख्यालय पर राजस्थान हाइकोर्ट में वी मांग के सम्बन्ध स्तरीय शक्ति द्वारा सामुहिक रूप के निर्णय कालांतर प्रायेक मद् की बात तरीय को किसी भी न्यायालय के न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेने के पत्रावली दिनांक 15-10-18 को पेश हो।

मनीलाल

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

15-10-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित है। पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी
----------------	------------------------------------	--

को तीन-तीन बार आवाज लगावई गई। फिर भी
 उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली में अफेस 9 दिनांक 3
 के तहत अफेस हाजरी, अदम पेशी में बाद
 खारीज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया। पत्रावली क्रमांक शुमार है, दर्ज
 नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

अदालत -
 मुकदमा